(VII)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-200 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किर जायेगा।

(viii)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशार अभियन्ता का होगा।

(IX) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22- लेखाशीर्षक -5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिल तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-2 वृहत निर्माण कार्य की मद से विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन में रखी गयी धनराशि से किर जायेगा।

(X)- वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 201 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-2 -लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनाग -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-803 /XXVII/(2)/2011 दि0: 24 दिसम्बर, 201 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- (1)/III(2)/11-131(प्रा0आ0)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ हैं

हॉ/नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्व की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाओं/ वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं– हॉ/नहीं

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का करण (एक विस्तृत नोअ संलग्न किया जाय)

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत हैं– हॉ/नहीं
(500 हैं0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता हैं हॉ/नहीं

30. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हॉ/नहीं

अथवा

मलुवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न हैं हॉ/नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तो का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में सलग्न है

हॉ/नहीं

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियॉ मूल में संलग्न है हॉ/नहीं

यदि छाया प्रतियॉ संलगन की गई हैं तो सत्यापित हैं हॉ/नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न हैं–

हॉ/नहीं

34. वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न हैं हॉ/नहीं

35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न हैं हॉ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
			प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
			नैनीताल

प्रतिवेदन

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद नैनीताल में नैनीताल–कालाढूंगी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुन : निर्माण कार्य।

जनपदन नैनीताल कालाढूंगी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग के पुनः निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 6703/III (2)11–13(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011 द्वारा 2 कि0मी0 लम्बाई हेतु तथा रू0 6.90 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में उक्त मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कराया जाना है।

यह मार्ग नैनीताल–कालाढूंगी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से प्रारम्भ होकर ग्राम नलनी तक जाता है। इस मार्ग में 550 मी0 लम्बाई में नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की आरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। शेष 1450 मीटर में कास्तकारों की निजी भूमि प्रभावित होती है। जो रामनगर वन प्रभाग रामनगर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। कास्तकारों की निजी भूमि में राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं रामनगर वन प्रभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कास्तकारों की भूमि के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

इस मार्ग के निर्माण से ग्राम नलनी एवं कलगांव के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे तथा इस मार्ग के निर्माण से ग्राम नलनी का विकास होगा। अतः इस मार्ग के पुनः निर्माण हेतु नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि के हस्तानन्तरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव का गठन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अमीन

अपर सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
नैनीताल

पत्रावली सं० ...
क्रमांक ...... (128)
पिछला क्रमांक ......
अग्रिम क्रमांक ......

संख्या:– 6703/111(2)/11–131(प्रा0आ0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2011

विषय:– जनपद नैनीताल में नैनीताल–कालाढुंगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुन: निर्माण एवं सुधार कार्य, की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा जनपद नैनीताल में नैनीताल–कालाढुंगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुन: निर्माण एवं सुधार कार्य कराये जाने के लिये 2.00 किमी0 लम्बाई हेतु प्रस्तावित किये गये प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणन, लागत ₹ 6.90 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 6.90 लाख (₹ छ: लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु धनराशि ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(I)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त, शासनादेश सं0–1764/111(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(II)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(III)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(IV)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(V)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(VI)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

Photocopy attested

Photocopy attested